म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल

26, अरेरा हिल्स भोपाल

नियम पुस्तिका

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल अंतर्गत सचिव 'स' संवर्ग के निःशक्तजनों के रिक्त 03 पदों की पूर्ति निम्नानुसार की जाना है|

सीधी भर्ती के लिए संधारित 100 बिंदु रोस्टर अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन चयन प्रक्रिया के लिए निम्नानुसार निर्देश एवं शर्तें निर्धारित की जाती हैः

1. रिक्त पद का विवरणः-

पद का नाम	पद की संख्या	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5%)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5%)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित है, सेरिब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5%)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5%)	वर्ग
सचिव वर्ग 'स'	03	01	01	01	00	**

**नोटः निःशक्तजनो की 03 पद में जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा|यह पद प्रत्येक श्रेणी की बिना वर्ग/ओपन रिक्तियों में समाहित है|

2. पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा (दिनांक 01.01.2024 की स्थिति में)

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज्ञाप क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक 04.07.2019 के माध्यम से राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा निर्धारित रहेगी।

3. पद का नाम, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं वेतनमान:-

पद का नाम	निर्धारित शैक्षणिक अर्हता	वेतनमान
सचिव वर्ग 'स'	कृषि/ वाणिज्य/विज्ञान/ प्रबंध/ अर्थशास्त्र/ में स्नातक	सचिव 'स' वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 (36200-114800) (7 वां वेतन संशोधन) स्वीकार्य महंगाई भत्ते के साथ, मंडी बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित

3.1 म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल में सचिव वर्ग 'स' के लिए मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी/3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 द्वारा 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4. आवेदन पत्र दिनांक 03.09.2024 से 27.09.2024 तक एम.पी.ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं डाक में होने वाले विलंब के लिये कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।

5. आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप, शैक्षणिक अर्हता, शर्तें एवं आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश विभाग की वेबसाइट www.mpmandiboard.in अथवा एम.पी.ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in एवं म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के सूचना पटल पर देखे जा सकते हैं।

6. आवेदन करने के लिए आवश्यक निर्देश:-

(1) सेवा में वेतन संबंधित, शर्तों में किसी भी समय शासन नीतियों एवं म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के निर्देशों के अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है तथा अधिसूचित पदों में कमी या वृद्धि हो सकती है।

(2) अपूर्ण एवं गलत भरे गये आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा।

(3) सचिव 'स' पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में सर्वाधिक प्राप्तांको के आधार पर वरीयता क्रम में प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी| प्रावीण्य सूची के वरीयता क्रम अनुसार 01 पद के विरूद्ध 03 अभ्यर्थियों को वाक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाकर अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा|

(4) आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

(5) आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

(6) आयु सीमा 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की छूट सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(7) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता है।

(8) चयन के लिए किसी भी स्तर पर अथवा चयन के उपरांत भी आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन निरस्त कर दिया जाएगा|

(9) यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जायेगा|

(10) यह कि जिस आवेदक की दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, परन्तु कोई भी आवेदक जिसकी पहले से एक से अधिक संतानों का जन्म होता है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निर्हरित नहीं होगा।

(11) शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता अपना आवेदन पत्र नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति पत्र संलग्न करेंगे|

(12) आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण- पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

(13) किसी आवेदक की ओर से किसी भी साधन से अपनी अभ्यर्थिता के समर्थन अभिप्रास हेतु किया गया कोई भी प्रयास उसके चयन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हता समझा जाएगा।

(14) चयनित अभ्यर्थियों को म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के अधीनस्थ प्रदेश की किसी भी कृषि उपज मंडी समिति के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में पदस्थ किया जा सकेगा।

(15) यह कि बिना किसी पूर्व सूचना के चयन को स्थगित अथवा निरस्त करने का अधिकार म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के पास रहेगा। चयन/नियुक्त में म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

(16) आवेदक की आयु की गणना दिनांक 01.01.2024 के अनुसार मान्य होगी।

(17) आवेदक को इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र ए-4 साईज पेपर पर होना चाहिए, जिसके निर्धारित स्थान पर आवेदक के हस्ताक्षर हो तथा निर्धारित स्थान पर आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए।

(18) यह कि आवेदन-पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थाई जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि सम्बन्धी प्रमाण पत्र, श्रेणी (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांगता) आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची/अभिलेखों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न की जाये।

(19) यह कि दिव्यांगजनों के आवेदकों को शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा मंडल/चिकित्सक/दिव्यांगजनों के विशेषज्ञ रोजगार कार्यालय एवं पुनर्वास कार्यालय के साथ संबद्ध मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(20) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया/सहरिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(21) यह कि नियत अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माने जायेंगे तथा इसके लिए म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल अभ्यर्थी को कोई लिखित जानकारी देने का उत्तरदायी नहीं होगा।

(22) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल, अभ्यर्थी की केवल वही जन्म तिथि स्वीकार करेगा, जो हाईस्कूल प्रमाण-पत्र पर उल्लेखित है, जो वास्तविक जन्म तिथि का उल्लेख करता है। आवेदन पत्र में एक बार जन्म तिथि का उल्लेख हो जाने पर किसी भी स्थिति में जन्म तिथि में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसा आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

(23) ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हों, वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।

(24) यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत, 40 % या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

(25) यह कि पूर्व से जारी किये गये निःशक्तता प्रमाण-पत्र का परीक्षण संबंधित जिले के मेडिकल बोर्ड से कराने के उपरांत ही दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।

(26) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट), दिनांक 03.07.2018 के माध्यम से दिए गए निर्देशानुसार सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये दिव्यांगजनों की परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही चयनोपरांत नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त राज्य शासन एवं म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल द्वारा वर्तमान एवं समय-समय पर जारी किए गए नियम/निर्देश के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल द्वारा की जायेगी।

14/08/21

(श्रीमन् शुक्ला)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,

भोपाल

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल के अंतर्गत

सचिव 'स' संवर्ग के नि:शक्तजनों के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन (2024)

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन के पत्र क्रमांक एफ 7-19/2019/आ.प्र./एक दिनांक 31.05.2024 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 7275/2019 विरूद्ध म.प्र. शासन व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30 जनवरी 2024 के परिपालन में दिव्यांगजनों के लिए बैकलाग के पदों सहित चिन्हांकित किए गए रिक्त पद की पूर्ति हेतु वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से निम्नानुसार की जाना है:-

1. पद का विवरण:

पद का नाम	पद की संख्या	अंधापन और कम दृष्टि	बहरा और सुनने में कठिनाई	मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ट रोग से मुक्ति, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित गतिजन्य विकलांगता	आटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ठ सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी	वर्ग
सचिव 'स'	03	01	01	01	00	-

नोट: सचिव 'स' वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 (36200-114800) (7 वां वेतन संशोधन) स्वीकार्य महंगाई भत्ते के साथ, मंडी बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित।

2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि - दिनांक 03.09.2024 से 27.09.2024 तक तथा आवेदन संशोधन दिनांक 29.09.2024 तक रहेगी ।
3. ऑनलाइन आवेदन भरने की उपलब्धता- वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से स्वयं एवं एम.पी.ऑनलाइन के किसी भी कियोस्क के माध्यम से आवेदन पत्र भरा जा सकता है।
4. सामान्य शर्ते:
   1. म.प्र. के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा संबंधी प्रावधान, शैक्षणिक अर्हता एवं परीक्षा से सम्बंधित समस्त विस्तृत विवरण/नियम पुस्तिका एम.पी.ऑनलाइन की वेबसाइट www.mponline.gov.in पर एवं म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड क़ी वेबसाइट www.mandiboard.in पर उपलब्ध है।
   2. आवेदक के पास समस्त निर्धारित न्यूनतम अर्हताऐ आवेदन नियम पुस्तिका में उल्लेख अनुसार होना अनिवार्य है। इसके बाद किसी भी दिनांक को अर्हताऐ अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पद के लिए विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

** सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया के दौरान यदि कोई कंप्यूटर/ लिपिकीय त्रुटी पायी जाती है तो म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड किसी भी स्तर पर वैध सुधार का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल.

D:\Rajesh Mistry\Bharti\Latter.docx